


आदेश

अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट सभी खातेदारों की सहमति के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होने की वजह से अस्वीकार किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को मजमेआम (शिविर में) सुनाया गया मगर न्यायालय तगं होने की वजह से आदेश आज दिनांक 28.06.2018 को लिखवाया गया।

पत्रावली फेसलशुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

अध्यक्ष


डॉ. इन्दजीत यादव IAS
उपखण्ड अधिकारी
कैम्प कोर्ट भेड़